

परिशिष्ट

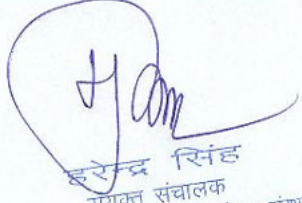
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2993 अतारांकित द्वारा श्री सुबेदार सिंह रजौधा सदस्य विधानसभा

एल.पी.जी. गैस से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ग्वालियर एवं चंबल संभाग में जन जागृति हेतु विशेष शिविरों के आयोजन की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	जनजागृति हेतु की गई कार्यवाही
1	ग्वालियर	वर्ष 2015-16 में ग्वालियर में 455 सेफ्टी क्लिनिक के माध्यम से उपभोक्ताओं अग्नि से सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है।
2	शिवपुरी	एलपीजी गैस होने वाली दुर्घटनाओं हेतु प्रतिवर्ष 15 मार्च एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण हेतु शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। गैस का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का प्रदर्शन भी गैस एजेन्सी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
3	अशोकनगर	एलपीजी गैस होने वाली दुर्घटनाओं हेतु प्रतिवर्ष 15 मार्च एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण हेतु शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। गैस का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का प्रदर्शन भी गैस एजेन्सी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
4	गुना	गुना जिले में एलपीजी गैस से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 350 शिविरों का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
5	दतिया	एलपीजी गैस होने वाली दुर्घटनाओं हेतु प्रतिवर्ष 15 मार्च एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण हेतु शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं

सुबेदार सिंह
प्रमुख संचालक
जा. ग. नि. अ. एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्य प्रदेश

		को जागरूक किया जाता है। गैस का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का प्रदर्शन भी गैस एजेन्सी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
6	भिण्ड	एलपीजी गैस से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 6 विशेष शिविरों का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
7	मुरैना	एलपीजी गैस होने वाली दुर्घटनाओं हेतु प्रतिवर्ष 15 मार्च एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण हेतु शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। गैस का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का प्रदर्शन भी गैस एजेन्सी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।
8	शयोपुर	एलपीजी गैस होने वाली दुर्घटनाओं हेतु प्रतिवर्ष 15 मार्च एवं 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण हेतु शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। गैस का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का प्रदर्शन भी गैस एजेन्सी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गैस एजेन्सियों द्वारा घर-घर जाकर सुरक्षा जांच की जाती है।


 हरेन्द्र सिंह
 संयुक्त संचालक
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
 मध्य प्रदेश